राजस्थान लोक सेवा आयोग

सामान्य अध्ययन

प्रश्न पत्र – 3

इकाई (Unit) – 3

खण्ड (Part) – स

(विधि)

टॉपिक – D

‘‘ राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां

पाठ्यक्रम

राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां

(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्माण I.A.S.

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

भूमि सम्बन्धी मामलों, कानून, राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों और ग्राम सेवकों की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ और कर्त्तव्य सम्बन्धी अभिलेखों और नक्शों की तैयारी तथा सार सम्भाल, राजस्व लगान का निर्धारण, भू-सम्पत्तियों का विभाजन, राजस्व की वसूली और उनसे प्रासंगिक मामलों से सम्बन्धित विधि (कानून) को समेकित तथा संशोधित करने के लिए यह अधिनियम राजस्थान विधानसभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियम किया जाता हैं-

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :-**

(1) यह अधिनियम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 कहलायेगा।

(2) इस विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि को प्रभावशील होगा जो राज्य सरकार (शासकी राजपत्र) में विज्ञप्ति द्वारा नियत करें।

3. **निर्वचन :-** इस अधिनियम में जब तक विषय अथवा सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) **''भू-अभिलेख अधिकारी''** (लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर) से अभिप्राय जिलाधीश (कलक्टर) से होगा और उसमें अतिरिक्त तथा सहायक भू-अभिलेख अधिकारी भी सम्मिलित होगा।

(i-क) **''म्यूनिसिपेलिटी''(नगरपालिका)** का वही अर्थ होगा जो राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1951 तत्समय प्रभावशाली, किसी अन्य विधि द्वारा दिया गया हो।

(i-ख) **''नजूल लैण्ड'' (नजूल भूमि)** से अभिप्राय राज्य सरकार में निहित उस आबादी भूमि से है जो नगरपालिका या पंचायत सर्किल या गाँव, कस्बा या शहर की सीमा के अन्दर हो।

(i-ग) **''पंचायत सर्किल''** का वही अर्थ होगा जो राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1953) या तत्समय प्रभावशील किसी अन्य पंचायत विधि द्वारा किया गया हो।

(ii) **''विहित''** से अभिप्राय इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित से होगा।

(iii) **''किसी पक्ष के प्रस्वीकृत अभिकर्ता''** से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति से होगा जो पक्षकार द्वारा उसकी ओर से उपस्थित होने, प्रार्थनापत्र देने तथा अन्य कार्य करने के लिए लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो।

(iii-क) **''राजस्व अपील प्राधिकारी''** से अभिप्राय धारा 20-क के अन्तर्गत इस प्रकार नियुक्त अधिकारी से होगा।

(iv) **''भू-प्रबंध अधिकारी''** (सैटलमेंट ऑफिसर) में सहायक भू-प्रबंध अधिकारी भी सम्मिलित होगा।

(v) **''गाँव''** से अभिप्राय उस भूमि-खण्ड से होगा जो गाँव के रूप में मान्यता-प्राप्त हो व अभिलिखित हो चुका हो तथा एतद्पश्चात् गाँव के रूप में मान्यता-प्राप्त व अभिलिखित हो,

राजस्व बोर्ड के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

राजस्व बोर्ड को राजस्व सम्बन्धी विवादों के निपटारे का शीर्षस्थ न्यायालय कहा जा सकता हैं। राजस्थान में यह बोर्ड अजमेर में अवस्थित हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 2 की धारा 4 से 14 तक में राजस्व बोर्ड (Board of Revenue) के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है।

सन् 1956 के अधिनियम की धारा 4 से 7 में राजस्व बोर्ड के गठन (Comosition) के बारे में प्रावधान किया गया हैं। इनके अनुसार-

राजस्थान राज्य के लिए एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया हैं जिसका मुख्यालय अजमेर में है। इस बोर्ड का गठन एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम 3 एवं अधिकतम 15 सदस्यों से मिलकर होता है। राज्य सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर सदस्य संख्या में वृद्धि की जा सकती है। नियुक्तियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हतायें, आयु-सीमा, सेवा शर्ते आदि राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेंगी अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग, नियुक्ति की समाप्ति या अवसान या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण कोई रिक्त होने मात्र के आधार पर बोर्ड का गठन अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

जब अध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पदीयकृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो ऐसे पदीय कृत्यों का निर्वहन बोर्ड के वरिष्ठतम सदस्य, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होगा, द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के लिए **'रजिस्ट्रार'** (Registrar) एवं आवश्यकतानुसार अन्य अनुसचिवीय अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका बोर्ड निदेश है।

क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 8 से 14 तक में राजस्व बोर्ड के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों (Jurisdiction and Powers) के बारे में प्रावधान किया गया है। इनके अनुसार -

1. **उच्चतम राजस्व न्यायालय :-** राजस्व बोर्ड को राज्य में अपील, पुनरीक्षण एवं निर्देशन (Appeal, Revision and Reference) का उच्चतम राजस्व न्यायालय (Highest Revenue court) माना गया है। (धारा 8 एवं 12) **'कल्याण बनाम कल्याण'** (1981 आर.आर.डी. 429) के मामले में भी इस बात की पुष्टि करते हुए यह कहा गया है कि भू-राजस्व एवं काश्तकारी अधिनियम की परिधि में आने वाले मामलों के विचारण एवं विनिश्चय के समय राजस्व बोर्ड एक राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

2. **अधीक्षण की शक्ति :-** इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए राजस्व बोर्ड को राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण (Superintendence and Control) की शक्यिाँ प्रदान की गई हैं। (धारा 9 एवं 18) **'मनफूल बनाम श्रीमती तुलसी'** (1993 राजस्थान विधि पत्रिका 114) के मामले में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है। कि-समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण राजस्व बोर्ड में निहित है। इन शक्तियों के अन्तर्गत राजस्व बोर्ड ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता हैं जिनमें अधीनस्थ न्यायालय विधि के स्पष्ट प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए अवैध कार्य करते है। (राजाराम बनाम राजस्व बोर्ड, 1994 राजस्थान विधि पत्रिका, 388)
3. **कारोबार का वितरण एवं प्रशासनिक नियंत्रण :-**राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड के कारबार के वितरण और संचालन (Distribution and conduct of the business) की शक्तियाँ प्रदान की गई है। बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के कार्य का वितरण कर सकेगा और उसे यह अवधारित करने का अधिकार होगा कि कौन से सदस्यों से कोई न्यायपीठ (Bench) गठित होगी। (धारा 10 (2) एवं 16)
4. **अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति :-** राजस्व बोर्ड को अवमान के लिए दण्डित करने के संबंध में वे ही शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) के अधीन उच्च न्यायालय को प्राप्त है।
5. **वृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्ति :-** अधिनियम की धारा 11 एव 15 के अन्तर्गत राजस्व बोर्ड की किसी मामले को वृहत्तर न्यायपीठ (Larger Bench) को निर्देशित करने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार-बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य या न्यायपीठ यदि ठीक समझे तो कारण लेखबद्ध करते हुए अपने समक्ष के किसी मामले या कार्यवाही में उद्‌भूत होने वाले विधि के या विधि का बल रखने वाली प्रथा के या किसी भी दस्तावेज के अर्थान्वयन (Interpretation) के किसी भी प्रश्न को राय के लिए वृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित कर सकेगी और मामला या कार्यवाही ऐसी राय के अनुसार निपटाई जायेगी।

   'सूरजमल बनाम हजारी' (1972 आर.आर.डी. 534) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विधि के प्रश्न पर राय हेतु एकल पीठ किसी मामले अथवा कार्यबाही को पूर्ण पीठ को या दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ को निर्देशित कर सकती है।
6. **उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति :-**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 12 में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ किसी मामले में किसी न्यायपीठ को यह प्रतीत हो कि उसमें विधि का ऐसा कोई प्रश्न को अन्तर्ग्रस्त है जो सार्वजनिक महत्व का है और उस पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो न्यायपीठ द्वारा ऐसे प्रश्न को राय हेतु उच्च न्यायालय को निर्देशित (Refer) किया जा सकेगा। आवश्यक यह है कि मामले में -

(क) विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा या रूढ़ि या किसी दस्तावेज के अर्थान्वयन (Construction) का प्रश्न अन्तर्वलित हों,
(ख) ऐसा प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हो, तथा
(ग) उस पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन हो।

7. **मतभेद की दशा में विनिश्चय :-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में यह उपबन्धित किया गया हैं कि-
   (क) बोर्ड द्वारा अपनी अपीलीय, पुनरीक्षण या निर्देशन सम्बन्धी अधिकारिता का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा नियुक्त या गठित किसी भी खण्डपीठ (Division Bench) द्वारा किया जा सकेगा।
   (ख) यदि खण्ड न्यायपीठ दो या अधिक सदस्यों से बनी हो और सदस्य विधि के किसी भी प्रश्न पर दिये जाने वाले विनिश्चित के बारे में राय में बंटे हुए हो तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चत सदस्यों के बहुमत से (यदि कोई हो) किया जायेगा।
   (ग) यदि राय के बारे में सदस्य समान रूप से बंटे हुए हो तो मामला किसी अन्य सदस्य या सदस्यों को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे सदस्यों को जिन्होंने इसे सुना था सम्मिलित करते हुए सदस्यों के बहुमत के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

   यहाँ यह उल्लेखनीय है कि खण्ड पीठ के विनिश्चित के विरूद्ध बोर्ड को कोई अपील नहीं हो सकेगी।
8. **नियम बनाने की शक्तियाँ :-** राजस्व बोर्ड को निम्नांकित विषयों पर नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं-
   (क) बोर्ड की बैठकों को विनियमित करने के लिए
   (ख) बोर्ड की पद्धति (Practice) को विनियमित करने के लिए
   (ग) कार्यवाहियों के लिए बोर्ड में उपयोग में लिये जाने वाले प्रारूपों (Forms) का उपबन्ध करने के लिए और ऐसे प्ररूप विहित करने के लिए जिनमें पुस्तिकायें, प्रविष्टियाँ, सांख्यिकी और लेखे रखे जायेंगे।
   (घ) वहाँ व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं और राजस्व अभिकर्ताओं को अनुज्ञात की जाने वाली फीसों की सारणियाँ (Tables) तय करने के लिए, तथा
   (ङ) समस्त ऐसे विषयों का विनियमन करने के लिए जिन्हें वह बोर्ड की दक्षता को प्रोन्नत करने और समुचित अनुशासन रखने की दृष्टि से ठीक समझे। ऐसे नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे।
9. **अन्य शक्तियाँ :-** राजस्व बोर्ड द्वारा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा जो समय-समय पर-
   (क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाये, या
   (ख) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये जाये या उस पर अधिरोपित किये जायें।

राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की श्रेणीयाँ

राजस्व सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में राजस्व न्यायालयों के गठन की व्यवस्था की गई है। सन् 1956 के अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 15 से 40 तक में इन न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है। इन दोनों अधिनियमों में राजस्व न्यायालयों के बारे में की गई व्यवस्था कुल मिला कर समान है।

न्यायालयों एवं अधिकारियों की श्रेणियाँ :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 17 से 22 तक में निम्नांकित राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों का उल्लेख किया गया है-

1. आयुक्त
2. उप आयुक्त
3. बन्दोबस्त आयुक्त
4. अपर बन्दोबस्त आयुक्त
5. भू-अभिलेख निदेशक
6. अपर भू-अभिलेख निदेशक
7. कलेक्टर एवं भू-अभिलेख अधिकारी
8. तहसीलदार एवं अपर भू-अभिलेख अधिकारी
9. बन्दोबस्त अधिकारी
10. सहायक कलेक्टर
11. नायब तहसीलदार तथा
12. राजस्व अपील अधिकारी।

आगे चलकर निम्नांकित राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों का उल्लेख किया गया हैं-

1. निदेशक, भू-अभिलेख
2. अपर निदेशक, भू-अभिलेख
3. सहायक निदेशक, भू-अभिलेख
4. आयुक्त
5. अपर आयुक्त
6. राजस्व अपील अधिकारी
7. कलेक्टर एवं जिला भू-अभिलेख अधिकारी
8. उप खण्ड अधिकारी (उपखण्ड का प्रभारी सहायक कलेक्टर)
9. तहसीलदार
10. अपर कलेक्टर
11. अपर तहसीलदार
12. नायब तहसीलदार
13. सदर कानूनगो
14. पटवारी
15. गिरदावार
16. कानूनगों, तथा
17. निरीक्षक

तहसीलदार एवं उससे ऊपर की पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्तियाँ शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जायेंगी तथा ऐसी नियुक्तियाँ अधिकारियों द्वारा कार्यभार सम्भालने की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी। नायब तहसीलदार एवं उससे नीचे की पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्तियों की अधिसूचना (Notification) जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।

राजस्व न्यायालय एवं अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 25 राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की शक्तियों व कर्तव्यों (Powers and Duties) का उल्लेख किया गया है।

धारा 29, 30, 31 (1) एवं 32 (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा उसे प्रदत्त की गई हैं या उस पर प्रत्यायोजित किये (Delegate) गये हैं या किये जायें।

धारा 25 में राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों को निम्नांकित शक्तियों एवं कर्तव्यों को उल्लेख किया गया हैं-

(क) आयुक्त, कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में भू-राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(ख) बन्दोबस्त आयुक्त राज्य भर में बन्दोबस्त से सम्बन्धित मामलों का भारसाधक होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इस अधिनयम या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसे प्रदत्त की जाये या अधिरोपित की जाये।

(ग) इसी प्रकार निदेशक भू-अभिलेख राज्य भर में सर्वेक्षण, भू-अभिलेखों की तैयारी, पुनरीक्षण आदि का प्रभारी होगा तथा तत्सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(घ) भू-अभिलेख अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी, जो क्रमशः अध्याय 7 एवं 8 के अधीन नियुक्त किये गये हैं, अपने-अपने क्षेत्र में अपने पदीय-कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(ड़) उप आयुक्त, अपर बन्दोबस्त आयुक्त या अपर अथवा सहायक भू-अभिलेख निदेशक या अपर कलेक्टर या अपर तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश से ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन क्रमशः आयुक्त, बन्दोबस्त आयुक्त भू-अभिलेख निदेशक या कलेक्टर या तहसीलदार को प्रदत्त है।

(च) सहायक कलेक्टर या नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या द्वारा प्रदत्त की जाये या राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से प्रत्यायोजित (Delegate) की जाये।

अतिरिक्त शक्तियाँ

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 26 में राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की अतिरिक्त शक्तियों (Additional Powers) का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार-राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर-

(क) किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार की समस्त या कोई शक्तियाँ

(ख) किसी तहसीलदार को सहायक कलेक्टर की समस्त या कोई शक्तियाँ

(ग) किसी सहायक कलेक्टर को उपखण्ड अधिकारी या भू-अभिलेख अधिकारी या कलेक्टर की समस्त या कोई शक्तियाँ एवं

(घ) किसी आयुक्त को निदेशक भू-अभिलेख की समस्त या कोई शक्तियाँ, प्रदत्त की जा सकेंगी।

इनके अतिरिक्त सन् 1956 के अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर-

1. सहायक कलेक्टर को बन्दोबस्त अधिकारी की
2. आयुक्त को बन्दोबस्त आयुक्त की
3. बन्दोबस्त आयुक्त को निदेशक, भू-अभिलेख की
4. उपखण्ड अधिकारी को भू-अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी या कलेक्टर की।
5. भू-अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी को उपखण्ड अधिकारी या सहायक कलेक्टर या कलेक्टर की
6. कलेक्टर को बन्दोबस्त अधिकारी की समस्त या कोई शक्तियाँ प्रदत्त की जा सकेगी।

राजस्थान भूमि विधियाँ

राज्य सरकार द्वारा यह शक्तियाँ व्यक्तियों को नाम से या उनके पद के आधार पर प्रदत्त की जा सकेगी। जब भू-प्रबंध समाप्ति पर कलेक्टर द्वारा कोई विचाराधीन मामला उप जिलाधीश को निपटारे हेतु अन्तरित किया जाता है तब अप जिलाधीश का आदेश भू-अभिलेख अधिकारी का आदेश होने के कारण राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश की अपील की सुनवाई भू-अभिलेख निर्देश के नाते की जायेगी। (भौरीलाल बनाम मुन्नी, 1978 आर.आर.जे.एन.यू.सी. 76)

अन्तर्निहित शक्तियाँ

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों को निम्नांकित अन्तर्निहित शक्तियाँ (Inherent Powers) प्रदान की गई है-

1. आयुक्त को बन्दोबस्त आयुक्त अथवा निदेशक भू-अभिलेख की शक्तियाँ प्रदत्त किये जाने पर आयुक्त भू-अभिलेख अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ अधिकारियों की समस्त शक्तियाँ रखेगा।
2. राजस्व अपील प्राधिकारी को कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होंगी।
3. कलेक्टर को उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होंगी।
4. उप खण्ड अधिकारी को सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होंगी।
5. तहसीलदार को नायब तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
6. भू-अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी को तहसीलदार या नायब तहसीलदार या अध्याय 7 या 8 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

इन अन्तर्निहित शक्तियों का उल्लेख धारा 39 में इस प्रकार किया गया हैं-

''समस्त वरिष्ठ राजस्व न्यायालयों और अधिकारियों को अवर (Inferior) राजस्व न्यायालयों और अधिकारियों की शक्तियाँ होंगी। किसी जिला भू-अभिलेख अधिकारी को किसी अपर जिला भू-अभिलेख अधिकारी और सहायक भू-अभिलेख अधिकारी की समस्त शक्तियाँ होगी।''

राजस्व अपील अधिकारी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी (Revenue Appellate Officers) के बारे में प्रावधान किया गया है। राजस्व अपील अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और ऐसे अधिकारियों को राजस्व अपील अधिकारी (Revenue Appellate Authority) के नाम से पदाभिहित किया जायेगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी को राजस्व सम्बन्धी न्यायिक मामलों और विधि द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित अन्य मामलों में -

(क) अपीलों

(ख) पुनरीक्षणों एवं

(ग) निर्देशों

को ग्रहरण करने, सुनने या उनका निस्तारण करने की अधिकारिता होगी।

राजस्व अपील प्राधिकारियों की बैठकों का स्थान राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 'अभिभाषक परिषद् श्री गंगानगर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान' (ए.आई.आर. 1995 राजस्थान 11) के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस व्यवस्था को शक्ति बाध्य (Ultravires) नहीं माना गया है।

अपील

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 74 से 81 तक में अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 74 में यह कहा गया है कि राजस्व न्यायालय या अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील इस अधिनियम के अधीन ही हो सकेगी, अन्य किसी विधि के अधीन नहीं। जबकि धारा 61 के परन्तु में यह कहा गया है कि अपीलों की संख्या दो से अधिक नहीं हो सकेगी अर्थात् किसी भी आदेश के विरूद्ध प्रथम एवं द्वितीय अपील ही हो सकेगी, आगे नहीं।

अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 80 में अपील प्राधिकारी की शक्तियों का उल्लेख किया गया हैं। इनके अनुसार अपील प्राधिकारी की निम्नांकित शक्तियाँ हैं-

(क) अपील अधिकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे संक्षेपतः नामंजूर कर सकेगा।

(ख) यदि अपील ग्रहण कर ली जाती हैं तो सुनवाई के लिए तारीख नियत की जायेगी और उसको नोटिस प्रत्यर्थी (Respondent) पर तामील किया जायेगा।

(ग) पक्षकारों को, यदि वे उपसंजात हो, सुनने के पश्चात् अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई हैं,
- (1) पुष्टि कर सकेगा, या
- (2) उसमें फेरफार कर सकेगा, या
- (3) उसको उलट (Reverse) सकेगा, या
- (4) ऐसा और अन्वेषण (Investigation) कर सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, जो वह आवश्यक समझे, या
- (5) मामले को ऐसे विनिर्दिष्ट निदेशों के साथ जो वह ठी समझे, निपटारे के लिए प्रतिप्रेषित (Remand) कर सकेगा।

निर्देशन

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में राज्य सरकार या राजस्व बोर्ड को **''निर्देशन''** (Reference) की शक्तियों का उल्लेख किया गया हैं। इनके अनुसार -

आयुक्त तथा निदेशक भू-अभिलेख या कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व न्यायालय या अधिकरी द्वारा विनिश्चित किसी भी मामले या की गई कार्यवाहियों का अभिलेख पारित आदेश की **'वैधता या औचित्य'** (Legality of propriety) के सम्बन्ध में तथा कार्यवाहियों की **'नियमितता'** (Regularity) के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।

पुनरीक्षण

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 83 से 85 में **'पुनरीक्षण'** (Revision) के बारे में प्रावधान किया गया है। इन दोनों धाराओं में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार-

राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी न्यायिकेत्तर कार्यवाहियों का, जो धारा 83 के अनुसार बन्दोबस्त से संबंधित नहीं है और धारा 68 के अनुसार भू-अभिलेख से सम्बन्धित नहीं हैं, अभिलेख मंगा सकेगी और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे। इस प्रकार धारा 83 एवं 68 राज्य सरकार को पुनरीक्षण की शक्तियाँ प्रदान करती है।

धारा 84 एवं धारा 69 में राजस्व बोर्ड की पुनरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख किया गया हैं, इनके अनुसार-बोर्ड अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय या अधिकारी द्वारा विनिश्चित न्यायिक प्रकार के या धारा 84 के अनुसार बन्दोबस्त से सम्बन्धित एवं धारा 69 के अनुसार भू-अभिलेख मंगा सकेगा और यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे न्यायालय या अधिकारी ने, जिसके द्वारा मामला विनिश्चित किया गया था-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया हैं जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं हैं, या

(ख) वह इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा हैं, या

(ग) उसने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया हैं, या

(घ) आदेश लोक नीति के विरूद्ध हैं,

तब वह मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

पुनर्विलोकन

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 85क से 87 तक में **'पुनर्विलोकन'** (Review) के बारे में प्रावधान किया गया है-

- राज्य सरकार द्वारा पुनर्विलोकन
- राज्य बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन
- अन्य न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन

नामान्तरण

नामान्तरण का शाब्दिक अर्थ हैं-नाम का अन्तरण। जब कोई भूमि अन्तरण (Transfer) द्वारा अथवा उत्तराधिकार (Succession) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर दी जाती है तब अन्तक (Transferor) के स्थान पर अन्तरिती (Transferee) का नाम दर्ज कर लिया जाता हैं। नाम बदलने की इस कार्यवाही को ही 'नामान्तरण की कार्यवाही' कहा जाता है।

नामान्तरण का मुख्य उद्देश्य होता हैं-राजस्व अथवा लगान के संदाय का दायित्व निर्धारित करना। जब सम्पत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरित हो जाती है तो यह स्वाभाविक है कि राजस्व अथवा लगान का दायित्व भी अन्तरिती आ जाना चाहिए और यही सुनिश्चित करने के लिए नामान्तरण की कार्यवाही की जाती है।

प्रक्रिया:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 133 से 135 तक में **'नामान्तरण की प्रक्रिया'** (Procedure of Mutation) के बारे में प्रावधान किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी अधिकांश आबादी की आय का अथवा आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि (खेती) है। लेकिन यहाँ की कृषि भी मानसून पर निर्भर करती है। अनेक बार अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि से फसल अच्छी नहीं हो पाती है। फिर आरम्भिक जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा से भी यहाँ के कृषक की दशा बड़ी दयनीय रही है। कृषक सदैव जमींदार, जागीरदार व बिस्वेदार आदि के शोषण के शिकार रहे है। स्वतंत्रता से पूर्व कुछ विधियाँ ही ऐसी थी जो कृषकों के लिए हितकर नहीं कही जा सकती जैसे-

(क) जयपुर स्टेट काश्तकारी अधिनियम, 1940
(ख) बीकानेर स्टेट काश्तकारी अधिनियम, 1945
(ग) जयपुर स्टेट भू-अभिधृति अनुदान अधिनियम, 1947
(घ) बून्दी स्टेट काश्तकारी अधिनियम, 1947 आदि।

यह सभी विधियाँ कृषकों को काई सहायता नहीं पहुँचाती थीं। अत: राजस्थान राज्य के एकीकरण के पश्चात् कृषकों की दशा पर ध्यान दिया गया। सभी विधियों को संहिताबद्ध एवं समेकित किये जाने की योजना तैयार की गई। एक कमेटी का गठन किया गया। 'भूमि किसान की' का नारा प्रसारित होने लगा। ऐसी स्थिति में कृषकों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु राजस्थान काश्तकार संरक्षण अध्यादेश, 1949 (Rajasthan Protection of Tenants Ordinance, 1949) जारी किया गया जिसमें सन् 1952 व 1954 में संशोधन किये गये। कालान्तर में 8 सितम्बर, 1953 को विधानसभा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विधयेक प्रस्तुत किया गया जो सर्वसम्पत्ति से पारित हुआ । यह अधिनियम 15 अक्टूबर, 1955 से प्रभाव में आया। यह अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान पर लागू है।

इस अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान किये गये हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गो (Economically and Socially Weaker Secytions of Society) के लिए हितकर एवं कल्याणकारी साबित हुए है। इन्हें अधिनियम की विशेषतायें कहा जा सकता है।

विशेषताएँ :- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की अनेक महत्वपूर्ण विशेषतायें हैं, यथा-

1. **एकरूप विधि :-** इस अधिनियम की सबसे पहली विशेषता इसका एकरूप (uniform) होना है। इस अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न विधियाँ थीं। सभी विधियों में एकरूपता (uniformity) भी नहीं थी। लेकिन सन् 1955 का यह अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर लागू है। पूर्व की सभी विधियाँ निरस्त हो गई है।
2. **राज्य की भूमिधारी की हैसियत :-** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता राज्य की समस्त भूमियों का राज्य में निहित होना है। राज्य ही सभी भूमियों का मुख्य भूमिधारी है। अपवाद स्वरूप कुछ ही श्रेणियों के व्यक्ति भूमिधारी के रूप में हैं जिनके द्वारा काश्तकारों को भूमि उप-पट्टे पर दी जा सकती है। इससे भूमिहीन व्यक्तियों में हीन भावना का संचार नहीं होता है।
3. **पिछड़े वर्गो के लिए विशेष उपबन्ध :-** इस अधिनियम में समाज के पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों के लिए अनेक प्रावधान किये गये है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि को सवर्ण के पक्ष में अन्तरण किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि का सवर्णो के पक्ष में अन्तरण नहीं किया जा सकता। यदि किया जाता है तो ऐसा अन्तरण शून्य माना जायेगा।
4. **काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार :-** अधिनियम के अध्याय 3ग की धारा 31 से 37 तक में काश्तकारों को अनेक प्राथमिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, जैसे-
   (क) निवास के लिए मकान का अधिकार
   (ख) लिखित पट्टे और प्रतिलेख का अधिकार
   (ग) पट्टों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान पर प्रमाणीकरण का अधिकार
   (घ) प्रीमियम अथवा बेगार का प्रतिषेध
   (ड़) लगान से भिन्न संदाय का प्रतिषेध
   (च) साम्रगी के उपयोग का अधिकार
   (छ) नालबट (Nalbut) में अधिकारों की अवाप्ति
   (ज) न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा जब्ती, कुर्की तथा विक्रय पर रोक आदि।
5. **अवैध बेदखली से संरक्षण :-** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की एक और महत्वपूर्ण विशेषता अभिधारियों की अवैध बेदखली से सुरक्षा हैं अधिनियम की धारा 161 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया हैं कि-''कोई भी अभिधारी अपने भूमि क्षेत्र से इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुसरण करने वाली प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया जायेगा।'' अध्याय 11 में बेदखली के आधारों का उल्लेख किया गया है। उन आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर अभिधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता।
6. **सुधार की सुविधा :-** अधिनियम की अध्याय 6 की धारा 65 से 78 तक में अभिधारियों को अपने भूमि क्षेत्र में सुधार करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया हैं। धारा 65 में यह कहा गया हैं कि- ''राज्य सरकार अथवा कोई भूमि स्वामी सम्पूर्ण राज्य की किसी भूमि में या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकता हैं।''
7. **समर्पण, परित्याग और अवसान :-** अधिनियम की धारा 55 से 64 तक में भूमि क्षेत्र के समर्पण, परित्याग एवं अवसान (Surrender, abandonment and extinction) की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए अभिधारियों को तत्संबंधी अधिकार प्रदान किये गये हैं।

8. **काश्तकारों के विभिन्न वर्गों की घोषणा :-** अधिनियम में अभिधारियों के विभिन्न वर्गों की घोषणा की गई हैं, यथा-
   (क) खातेदार अभिधारी
   (ख) मालिक
   (ग) खुदकाश्त के अभिधारी एवं
   (घ) गैर-खातेदार अभिधारी
   इन अभिधारियों को विनिर्दिष्ट अधिकार भी प्रदान किये गये हैं तथा उन्हें संरक्षण भी दिया गया है।
9. **अन्य विशेषतायें :-** उपरोक्त विशेषताओं के अलावा इस अधिनियम की कुछ और विशेषतायें निम्नांकित हैं-
   (क) अवैध लगान पर रोक
   (ख) अतिक्रमण से सुरक्षा
   (ग) अतिक्रमण के विरूद्ध राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता
   (घ) घोषणात्मक वाद एवं व्यादेश हेतु वाद लाने का अधिकार आदि।
   इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।

'भूमि' से अभिप्राय

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(24) के अनुसार-''भूमि से अभिप्राय उस भूमि से है जो कृषि कार्यों अथवा उसके अधीन अन्य कार्यों या उपवन या चरागाह के लिए पट्टे पर दी जाये या धारण की जाये तथा उसमें भूमि क्षेत्र पर स्थित मकानों या बाड़ों की भूमि अथवा उस पानी से ढकी भूमि सम्मिलित है जो सिंचाई के लिए अथवा सिंघाड़ा या उसके समान अन्य उपज उगाने के लिए काम में लिया जा सके परन्तु उसमें आबादी भूमि सम्मिलित नहीं हैं, परन्तु यह है कि उसमें भूमि भूमि से संलग्न अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी तौर पर सम्बद्ध वस्तुओं से होने वाले लाभ सम्मिलित हैं।''

इस प्रकार शब्द भूमि (land) में निम्नांकित भूमियों को सम्मिलित किया गया हैं-

(1) कृषि कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली भूमि
(2) कृषि के अधीन अन्य कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भूमि
(3) उपवन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि
(4) चरागाह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि
(5) सिंघाड़ा या उसके समान उपज उगाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि, आदि।

लेकिन 'आबादी भूमि' को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। कोई भूमि कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त की जा रही है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न हैं। इसका विनिश्चत प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

अभिधारियों (काश्तकारों) के वर्ग

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अभिधारियों (काश्तकारों) को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। अध्याय 3 की धारा 14 में अभिधारियों के चार वर्ग बताये गये हैं-

(1) खातेदार अभिधारी
(2) मालिक
(3) खुदकाश्त के अभिधारी, एवं
(4) गैर-खातेदार अभिधारी।

यद्यपि अभिधारियों को उपरोक्त चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया हैं, लेकिन मोटे तौर पर अभिधारियों के दो ही वर्ग हैं-

(क) खातेदार अभिधारी, एवं
(ख) गैर-खातेदार अभिधारी।

मालिक को खातेदार अभिधारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा खुदकाश्त अभिधारियों का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। दशिकमी काश्तकार को इस धारा के अर्थान्तर्गत अभिधारी नहीं माना गया हैं। (चेतनराम बनाम भंवरसिंह, 1969, आर.आर.डी. 294) आगे बढ़ने से पूर्व यहां यह भी बता देना उचित होगा कि खुदकाश्त और खातेदारी के अधिकार साम्पतिक अधिकार नहीं है।

प्राथमिक अधिकार

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के अध्याय 3ग की धारा 31 से 37 तक में अभिधारियों के प्राथमिक अधिकारों (Primary Rights of Tenants) का उल्लेख किया गया हैं। इनके अनुसार अभिधारियों के प्राथमिक अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. निवास के लिए मकान का अधिकार
2. लिखित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार
3. पट्टों का प्रमाणीकरण कराने का अधिकार
4. प्रीमियम एवं बेगार का निषेध
5. लगान से भिन्न संदाय का प्रतिषेध
6. सामग्री के उपयोग का अधिकार
7. नालबट में अधिकार
8. जब्ती, कुर्की एवं विक्रय पर रोक

खुदकाश्त का कृषक

अधिनियम की धारा 16क में 'खुदकाश्त के कृषक' (Tenant of khud kast) की परिभाषा दी गई हैं। इसके अनुसार-''खुदकाश्त के कृषक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय या पश्चात् किसी समय राज्य के किसी भू-भाग में भू-सम्पत्तिधारक द्वारा खुदकाश्त विधिवत् रूप से पट्टे पर दे दी गई हो या दे दी जाये।''

समर्पण

अधिनियम की धारा 55 से 59 समर्पण (Surrender) के बारे में प्रावधान करती है। धारा 55 में यह कहा गया है, कि ''कोई अभिधारी जो किसी पट्टे या करार द्वारा आगामी वर्ष में अपने भूमि क्षेत्र पर कब्जा बनाये रखने के लिए आबद्ध अभिधारी नहीं हैं, एक मई को या उससे पूर्व अपने भूमि क्षेत्र को, चाहे वह शिकमी पट्टे पर दिया हुआ अथवा बन्धकग्रस्त हो या नहीं, कब्जा छोड़ते हुए एक पत्र जो अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा अथवा नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत हो, के द्वारा समर्पित कर सकता हैं।''

इससे समर्पण (Surrender) का अर्थ स्पष्ट हो जाता हैं। समर्पण से अभिप्राय हैं-अभिधारी द्वारा अपने भूमि क्षेत्र पर से कब्जे का स्वेच्छापूर्वक त्याग कर देना।

धारा 55 में दी गई परिभाषा से समर्पण के निम्नांकित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं-

(क) भूमि क्षेत्र पर से कब्जे का त्याग किया जाना,
(ख) ऐसे त्याग का स्वेच्छापूर्वक होना तथा
(ग) त्याग तहसीलदार अथवा नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत पत्र के माध्यम से किया जाना।

'बाला बनाम रावा राजा उदयसिंह' (1958 आर.आर. डी. 11) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि -

(1) त्याग स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए, तथा
(2) इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।

यदि कब्जे का त्याग लिखित में किया जाता है तो उसका प्रमाणीकृत होना आवश्यक है।

परित्याग

अधिनियम की धारा 60 से 62 तक में 'परित्याग' (Abandonment) के बारे में प्रावधान किया गया है। शब्द 'परित्याग' से अभिप्राय हैं-अभिधारी द्वारा अपने भूमि क्षेत्र को उस पर कृषि की व्यवस्था किये बिना छोड़ देना।

धारा 60 के अनुसार, ''.......कोई अभिधारी जो कृषि करना बंद कर देता हैं और पड़ौस को छोड़ देता है, अपने भूमि-क्षेत्र में अपना हित उस दशा में नहीं खोयेगा जबकि वह अपने भूमि क्षेत्र को ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द करता है जो लगान के शोध्य होने पर उसके भुगतान का उत्तरदायी हो तथा इस व्यवस्था का भूमिधारी को लिखित नोटिस दे देता हैं।

यदि वह व्यक्ति जिसे उक्तरूपेण सुपुर्दगी की गई हो, ऐसा व्यक्ति हैं-

(क) जिसको अभिधारी की मृत्यु होने की दशा में अभिधारी का हित अवतरित होगा, या
(ख) जिसे भूमि क्षेत्र की व्यवस्था उस व्यक्ति के लाभार्थ करना हैं, जिसको अभिधारी की मृत्यु हो जाने की दशा में अभिधारी का हित अवतरित होगा,

तो अभिधारी सात वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर अपने भूमि क्षेत्र में अपना हित खो बैठेगा, जब तक कि वह उक्त अवधि के भीतर, अपने भूमि क्षेत्र में पुन: कृषि करना प्रारम्भ न कर दे और उक्त हित उस व्यक्ति को अवतरित हो जायेगा जिसे अभिधारी का हित, अभिधारी की मृत्यु होने की दशा में अवतरित होगा।

यदि वह व्यक्ति जिसे उक्तरूपेण सुपुर्दगी की गई हो, उपरोक्त व्यक्ति नहीं हैं तो उस अवधि की समाप्ति पर, जिसके लिए अभिधारी शिकमी पट्टे पर दे सकता था, यह अनुमान किया जायेगा कि अभिधारी ने अपना भूमि क्षेत्र परित्याग कर दिया है, जब तक कि वह उक्त अवधि के भीतर अपने भूमि क्षेत्र में पुन: कृषि करना आरम्भ न कर दे।

वह अभिधारी जो कृषि कार्य बंद कर पड़ौस का त्याग उपरोक्त उपलब्धों का अनुसरण न करते हुए अन्य रीति से करता हैं, उसके बारे में यह अनुमान किया जायेगा कि उसने अपना भूमि क्षेत्र परित्याग कर दिया हैं।''

इस प्रकार 'परित्याग' के लिए निम्नांकित शर्तो का पूरा होना आवश्यक हैं-

(क) अभिधारी द्वारा पड़ौस दिया जाना
(ख) अपने भूमि क्षेत्र में कृषि करना बन्द कर दिया जाना।
(ग) भूमि क्षेत्र के लगान का संदाय करने के लिए भूमि क्षेत्र को किसी के सुपुर्द नहीं किया जाना, तथा
(घ) भूमिधारी को उक्त आशय का लिखित नोटिस नहीं दिया जाना।

यदि कोई व्यक्ति लगान के संदाय की व्यवस्था कर देता हैं तो उसे परित्याग नहीं माना जायेगा।

अवसान

अधिनियम की धारा 63 से 64 तक में 'अवसान' (Extinction) के बारे में प्रावधान किया गया है। शब्द 'अवसान' का अर्थ हैं-'पूर्णरूप से समाप्ति'। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'अवसान' से अभिप्राय हैं- ''भूमि क्षेत्र में अभिधारी के हितों का पूर्णरूप से समाप्त हो जाना।'' सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में इसे 'पर्यवसान' के नाम से सम्बोधित किया गया हैं।

धारा 63 के अनुसार निम्नांकित परिस्थितियों में अभिधारी के उसके भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग में हित का अवसान हो जाता हैं-

(क) वह ऐसा उत्तराधिकारी छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाये जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में उत्तराधिकार प्राप्त करने का हकदार हो।
(ख) वह उसे इस अधिनियम अथवा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसरण में समर्पित या परित्यक्त कर दें।

(ग) उसकी भूमि भू-अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अवगत कर ली जाये।
(घ) वह कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और कब्जा लेने का उसका अधिकार परिसीमा (Limitation) से बाधित हो गया हो।
(ङ) वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में उससे बेदखल कर दिया गया हो,
(च) वह उसमें निहित भूमिधारी के समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता हैं अथवा भूमिधारी उसे उत्तराधिकार से या अन्यथा अवाप्त कर लेता है।
(छ) वह उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में बेच देता हैं या दान में दे देता हैं।
(ज) यदि वह विधिवत् पारपत्र प्राप्त किये बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना भारत से किसी विदेश को प्रवजन करे, अथवा
(झ) यदि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन भूमि का आबंटन रद्द कर दिया जाये या भूमि को पुन: कब्जे में लेने का आदेश दे दिया जाये।

इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में कृशि अधिकारों का अवसान हो जाता है। लेकिन यह आधार अर्थात् परिस्थितियाँ परिपूर्ण नहीं हैं। इनसे भिन्न परिस्थितियों में भी कृषि अधिकारों का अवसान हो सकता है।

घोषणात्मक वाद

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 से 92क में घोषणात्मक वाद एवं व्यादेश के बारे में प्रावधान किया गया है।

घोषणात्मक वाद :- अधिनियम की धारा 88 घोषणात्मक वाद (Declaratory Suit) के बारे में व्यवस्था देती हैं। इसके अनुसार -

1. कोई भी व्यक्ति जो अभिधारी या सह अभिधारी है, वह इस आशय की घोषणा करवाने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा कि वह-
   (i) अभिधारी है, अथवा
   (ii) संयुक्त काश्तकारी में हिस्सा रखता हैं।
2. खुद काश्त का अभिधारी भी इस घोषणा के लिए वाद ला सकेगा कि वह खुदकाश्त का अभिधारी है।
3. शिकमी अभिधारी ऐसे व्यक्ति पर, जिससे लेकर वह भूमि धारण करता हैं, यह घोषणा करवाने के लिए वाद दायर कर सकेगा कि वह शिकमी अभिधारी है।
4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी भूमि क्षेत्र का अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त का अभिधारी या शिकमी अभिधारी होने का दावा करता है, उसके अधिकारों की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि घोषणात्मक वाद (Declaratory Suit) किसी अभिधारी की हैसियत अथवा अधिकारों की घोषणा के लिए दायर किया जाता है।

व्यादेश के लिए वाद

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92क व्यादेश के लिए वाद संस्थित करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अनुसार, ''कोई भी व्यक्ति अपने उन समस्त अधिकारों या उनमें से किन्हीं के बारे में जो उसे इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हो, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अनुसरण में और उसके उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए व्यादेश के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।''

व्यादेश से अभिप्राय ऐसे आदेश से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने की धमकी देने से रोका जाता है।

व्यादेश सामान्यत: तब जारी किया जाता है जब व्यादेश जारी नहीं किये जाने पर कारित होने वाले क्षति-
(क) अपूरणीय हो
(ख) ऐसी क्षति की राशि को प्राप्त किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता हैं।
(ग) ऐसी क्षति का अनुमान लगाया जाना असम्भव हों

फिर यह भी आवश्यक है कि वादी के पक्ष में -
(1) प्रथम दृष्टया मामला (Prima facie case) हो,
(2) सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) हो, तथा
(3) अपूरणीय क्षति (Irrepairable loss) हो।

बेदखली का आधार

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 161 में यह सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैं- ''कोई भी अभिधारी अपने भूमि क्षेत्र से इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुसरण करने वाली प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया जायेगा।''

यह एक न्यायसम्मत व्यवस्था है। **''शिशुपालसिंह बनाम रामस्वरूप'' (1957 आर.आर.डी. 106)** के मामले में भी यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि -यदि किसी अभिधारी को उसके भूमि क्षेत्र में बेदखल किया जाना है तो ऐसा इस अधिनियम में विहित व्यवस्था के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

उदाहरणार्थ :- लगान का भुगतान नहीं किये जाने पर अभिधारी को सीधा ही भूमि क्षेत्र से बेदखल नहीं किया जा सकता है। यदि किया जाता हैं तो वह विधि विरूद्ध होगा। **दीनदयाल बनाम राजकुमारी, 1949** आर.आर.डी. 100)

यह व्यवस्था शिकमी अभिधारियों के लिए भी लागू होती है। **(गिरिराज बनाम रामलाल, 1974** आर.आर.डी. 209)

जैसा कि हमने ऊपर देखा, किसी भी अभिधारी को इस अधिनियम में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अधिनियम में बेदखली के निम्नांकित आधार (Grounds of Ejectment) बताये गये है।-

1. लगान के बकाया की डिक्री के निष्पादन में (धारा 174),

2. जोत के अवैध अन्तरण या उसे शिकमी पट्टे पर दे दिये जाने पर (धारा 175)
3. हानिप्रद कार्य या शर्त-भंग किये जाने पर (धारा 177)
4. खुदकाश्त, गैर-खातेदार एवं शिकमी अभिधारियों की बेदखली के विशिष्ट आधार (धारा 180)
5. अतिचार अर्थात् अतिक्रमण के आधार पर (धारा 183) तथा
6. बंधक की अवधि समाप्त हो जाने पर बंधक भूमि का कब्जा परिदत्त नहीं किये जाने पर (धारा 183क)।

अपील

अधिनियम की धारा 224 से 228 तक में अपीलों के बारे में प्रावधान किया गया है। अपीलें तीन प्रकार की बताई गई हैं-

1. मूल डिक्री के विरूद्ध अपील
2. अपील में पारित डिक्री के विरूद्ध अपील तथा
3. आदेशों के विरूद्ध अपील

धारा 228 में अपील के लिए परिसीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार-

(क) जिलाधीश को अपील 30 दिनके भीतर, तथा
(ख) राजस्व अपील प्राधिकारी को अपील 60 दिन के भीतर, की जा सकती है।

पुनरावलोकन

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत **'पुनरावलोकन' (Review)** के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्धों के अधीन -

1. राजस्व बोर्ड अपनी इच्छा से या वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर, स्वयं द्वारा या अपने किसी सदस्य द्वारा पारित की गई डिक्री या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता हैं और उसका खण्डन, परिवर्तन अथवा पुष्टि कर सकता हैं, और
2. राजस्व बोर्ड के अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व न्यायालय उक्त न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, आदेश या निर्णय का पुनरावलोकन करने के लिए सक्षम होगा।

पुनरीक्षण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 एवं 231 के अन्तर्गत **'पुनरीक्षण' (Revision)** के बारे में प्रावधान किया गया हैं

बोर्ड की पुनरीक्षण-शक्तियाँ

अधिनियम की धारा 230 में राजस्व बोर्ड की पुनरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार-बोर्ड किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद जिसमें धारा 239 के अन्तर्गत बोर्ड की या किसी सिविल न्यायालय को कोई अपील नहीं की जा सकती हो, के अभिलेख मंगवा सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय द्वारा -

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो विधि के अनुसार उसमें निहित नहीं है, अथवा
(ख) उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया है, अथवा
(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रीति से अथवा सारवान् अनियमितता से कार्य किया गया हैं, तो बोर्ड उस मामले में ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे।

उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियाँ

ठीक इसी प्रकार धारा 231 में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार-उच्च न्यायालय ऐसे किसी वाद या प्रार्थना पत्र जिसका निर्णय किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया हो तथा जिसकी अपील धारा 239 के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय में हो सकती हो लेकिन उच्च न्यायालय में नहीं हो सकती हो, के अभिलेख मंगवा सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि सिविल या राजस्व न्यायालय ने-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या
(ख) उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया हैं, या
(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रीति से अथवा सारवान् अनियमितता से कार्य किया हैं, तो उच्च न्यायालय उसमें ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे।

इस प्रकार बोर्ड एवं उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की अधिकारिता के आधार एक समान है।

निर्देश

अधिनियम की धारा 232 में **'निर्देश' (Reference)** के बोर में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार-जिलाधीश अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत या उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के अभिलेख को दिये गये आदेश या डिक्री की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट करने के अभिप्राय से मंगवा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा, और

यदि उसकी यह राय हो कि उस न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही, परिवर्तित, खण्डित या उलट दी जाने योग्य है तो वह उस मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड को निर्देशित (Refer) कर सकेगा और तदुपरान्त बोर्ड उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

विशेष प्रश्न

1. दस्तूर गांवई क्या है?

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 173 में दस्तूर गांवई के बारे में प्रावधान किया गया है। इसे वाजिब-उल-अर्ज भी कहा जाता है।

दस्तूर गांवई या वाजिब-उल-अर्ज बंदोबस्त कार्य के दौरान तैयार किया गया गाँव के निवासियों का अधिकारियों एवं दायित्वों से सम्बन्धित रूढ़ियों एवं प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता हैं। इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता हैं-

- काश्तकारों द्वारा संदेय लगान के अतिरिक्त समस्त उप कर,
- गाँव में रहने वाले या उनकी सार्वजनिक भूमि में सम्मिलित भूमियाँ, उनकी पैदावार और गाँव की भूमि को धारण करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बन्धित रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ (Customs and Usages)
- सिंचाई के अधिकार रास्ते के अधिकार और अन्य सुखाधिकारों से सम्बन्धित रूढ़ियाँ एवं प्रथा, तथा
- प्रत्येक दस्तूर गांवई या वाजिब-उल-अर्ज को सम्बधिंत गाँव के निवासियों को पढ़कर सुनाया जायेगा। यदि गाँव के निवासियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठाई जाती है तो बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसका निराकरण किया जायेगा। उसका निर्णय अंतिम होगा।

2. 'अधिकार अभिलेख' से आप क्या समझते हैं?

अधिकार अभिलेख के बारे में प्रावधान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 113 एवं 114 में तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 2003 की धारा 97 में किया गया है। दोनों अधिनियमों के प्रावधान कुल मिलाकर एक जैसे हैं। धारा 97 के अनुसार-

अधिकार अभिलेख भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा अभिलेख और लगान या राजस्व संक्रियाओं के पुनरीक्षण के अधीन के प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में, उसमें समाविष्ट प्रत्येक गांव या गांव के भाग के लिए तैयार किया गया एक ऐसा अभिलेख हैं जिसमें निम्नांकित बातों का उल्लेख किया जाता हैं-

(क) धारा 96 के अधीन तैयार किये गये नक्शे (Maps)

(ख) खतौनी अर्थात् अभिधारियों का रजिस्टर, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टयाँ विनिर्दिष्ट की जायेगी-
- (1) खाता संख्या,
- (2) अभिधारी का नाम और अभिधारी का वर्ग
- (3) उसकी धृति (Holding)में समाविष्ट प्रत्येक खेत की सर्वेक्षण संख्या और उसका क्षेत्र,
- (4) सिंचाई के स्त्रोत, सर्वेक्षण संख्या सहित
- (5) वार्षिक लगान या लगान जो उसके द्वारा संदेय है,
- (6) मृदा वर्ग (Soil Class) और
- (7) ऐसी अन्य विशिष्टयाँ, जो समय समय पर चिहित की जायें,

(ग) पट्टाधारकों के रजिस्टर को सम्मिलित करते हुए ऐसे अन्य रजिस्टर जो विहित किया जायें।

3. 'सभी भूमियाँ राज्य सरकार की सम्पत्ति होंगी।' समझाइये।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - ''समस्त सड़कें आदि तथा समस्त भूमियाँ जो दूसरों की सम्पत्ति न हों, राज्य की होंगी।'' (All roads etc. and all lands which are not the property of others shall be the property of the state.) इस सम्बन्ध में दोनों अधिनियमों में की गई व्यवस्था कुल मिलाकर समान हैं। धारा 4(1) के अनुसार-

समस्त लोक सड़कें, गलियाँ, पथ, पुल, और खाइयाँ, उन पर या उनके पास बनाई गई जाड़-बाड़, समस्त नदियाँ, स्त्रोतें, नालें, झीलें और तालाब, समस्त नहरें और जलमार्ग, समस्त स्थिर और बहता जल और समस्त भूमियाँ, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, राज्य की सम्पत्ति हैं, बशर्ते कि-

(1) वे सम्पति को धारण करने के लिए वैध रूप से समर्थ किसी भी व्यक्ति या संस्था की सम्पत्ति नहीं हो तथा

(2) उन पर ऐसे व्यक्ति या संस्था के कोई अधिकार सिद्ध नहीं किये गये हो या किये जाने वाले हो।

यदि ऐसी किसी सम्पत्ति में या उस पर किसी अधिकार के सम्बन्ध में राज्य का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई दावा हो तो उसका निश्चित कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

4. 'सभी भूमियाँ राजस्व या लगान का भुगतान करने के दायित्व के अधीन है।'' समझाइये?

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 2003 की धारा 5 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैं कि-''समस्त भूमि राजस्व या लगान के संदाय के दायित्वाधीन होगी।'' (All land is liable to the payment of revenue or rent.) दोनों अधिनियमों के उपबंध कुल मिलाकर एक जैसे हैं। धारा 5 के अनुसार -

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यहीन रहते हुए समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए आयोजित की जाये और कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व या लगान के संदाय के दायित्वाधीन है।

(2) किसी भी भूमि के कितने भी लम्बे अधिभोग से ऐसी भूमि राजस्व या लगान के दायित्व से मुक्त नहीं हो जायेगी।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी भूमि या भूमि वर्ग को लगान या राजस्व के संदाय से, चाहे भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से छूट दे सकेंगी।

(4) भूमि पर के राजस्व या लगान को इस बात के होने पर भी निर्धारित किया जा सकेगा कि ऐसा राजस्व या लगान उसका परिहार हर दिये जाने के कारण राज्य सरकार को संदेय नहीं हैं।

5. राजस्व बोर्ड का गठन कैसे होगा?

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 4 में राजस्व बोर्ड के गठन के बारे में प्रावधान किया गया हैं। इसके अनुसार-

- (क) राजस्थान का एक राजस्व बोर्ड होगा।
- (ख) इसका मुख्यालय अजमेर में होगा।
- (ग) राजस्व बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए किया जायेगा।
- (घ) इसमें एक अध्यक्ष होगा तथा कम से कम तीन एवं अधिक से अधिक 15 सदस्य होंगे।

6. राजस्थान अपील प्राधिकारी कौन होता हैं?

राजस्थान भू-राजस्व संहिता 1956 की धारा 20क में राजस्व अपील प्राधिकारी के बारे में प्रावधान किया गया हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं। उसके द्वारा -

- (क) राजस्व सम्बन्धी अपीलों
- (ख) पुनरीक्षणों, एवं

(ग) निर्देशों

को ग्रहण करने हुए उनका निपटारा किया जाता हैं।

7. सदर कानूनगो पर टिप्पणी लिखिये?

राजस्थान भू-राजस्व संहिता 1956 की धारा 35 के अन्तर्गत सदर कानूनगों के बारे में प्रावधान किया गया है।

सदर कानूनगों की नियुक्ति प्रत्येक जिले में भू-अभिलेख निदेशक द्वारा की जाती हैं। वह जिले में गिरदावर, कानूनगों, भू-अभिलेख निरीक्षकों एवं पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है और ऐसे कर्तव्यो का पालन करता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा विहित अर्थात् सौंपें जाते है।

8. 'खुदकाश्त' से क्या अभिप्राय हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(23) में शब्द 'खुदकाश्त' की परिभाषा दी गई हैं। इसके अनुसार- 'खुदकाश्त से अभिप्राय राज्य के किसी भाग में किसी भू-सम्पत्तिधारी द्वारा स्वयं काश्त की गई भूमि से होगा और उसमें-

(i) ऐसी भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय बन्दोबस्त अभिलेख में खुदकाश्त सीर, हवाला, निजी जोत, घर-खेड़ के रूप में उस समय जबकि उक्त अभिलेख तैयार किये गये थे, प्रवृत्त विधि के अनुसार दर्ज की गई हों, और

(ii) उक्त प्रारम्भ के पश्चात् राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत खुदकाश्त के रूप में आबंटित भूमि, सम्मिलित होगी। खुदकाश्त के लिए दो बातें आवश्यक हैं-

(क) बन्दोबस्त अभिलेख में इस बात का उल्लेख होना कि भूमि विशुद्ध रूप से काश्त की हैं, तथा

(ख) उस पर व्यक्तिगत रूप से काश्त की जा रही हैं।

9. 'सायर' से क्या अभिप्राय हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(37) में सायर (Sayar) की परिभाषा दी गई हैं। इसके अनुसार-

''सायर में वह सब सम्मिलित है जो कुछ पट्टेधारी या अनुज्ञाधारी द्वारा अनाधिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे-घास, फूस, लकड़ी, ईंधन, फल, लाख, गौंध, लूंग, पाला, पन्नी, सिंघाड़ा या तत्सदृश्य कोइ वस्तु अथवा ऐसा कूड़ा करकट जैसे भूमि पर बिखरी हुई हड्डियाँ या गोबर इकट्ठा करने के अधिकार के लिए अथवा मछली पकड़ने के अधिकार के लिए या वन सम्बन्धी अधिकारों के लिए अथवा कृत्रिम साधनों से सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी के उपयोग के लिए भुगतान किया जाना हो।''

10. उपवनधारी (उद्यानधारी) से आप क्या समझते हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(14) उपवनधारी की परिभाषा दी गई हैं। इसके अनुसार-

''उपवनधारी से अभिप्राय, जब तक उपवन अपने स्वरूप में स्थिर रहे, खातेदार अभिधारी अथवा खुदकाश्त धारी से है जो कि अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग पर उपवन (उद्यान) रखता हो और विहित रीति से उसे अभिलेख में उपवन के रूप में दर्शाता गया हो।''

11. 'भूमिधारी' से क्या अर्थ हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(26) में भूमिधारी (Land Holder) की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार- ''भूमिधारी से अभिप्राय राज्य के किसी भाग में उस व्यक्ति से हैं, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हैं, जिसे लगान देय हैं या जिसे अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अभाव में लगान देय होगा और उनमें-

(क) भू-सम्पत्तिधारी

(ख) अनुकूल लगान दर पर अनुदानग्रहीता,

(ग) उप पट्टे की दशा में, मुख्य अभिधारी जिसने भूमि शिकमी किराये पर उठाई हो अथवा उसका बंधकग्रहीता,

(घ) इजारेदार व ठेकेदार और

(ड़) साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति जो उच्चतरधारी है, उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भूमि सीधे उससे लेकर या उसके अधीन धारण करते हों

12. 'अतिक्रमी' की परिभाषा दीजिए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(44) में पद 'अतिक्रमी' (Tresspasser)की परिभाषा दी गई। इसके अनुसार-

''अतिक्रमी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूमि का कब्जा बिना अधिकार के प्राप्त कर लेता हैं या रखता है या भूमि पर अन्य व्यक्ति को, जिस उक्त भूमि यथाविधि पट्टे पर दी गई हैं, कब्जा करने से रोकता हैं।''

13. 'नालबट' क्या हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(47) के अनुसार-''नालबट से अभिप्राय किसी कुएं के स्वामी को उस कुएं की सिंचाई के लिए उपयोग करने के बदले, किसी व्यक्ति द्वारा नकद में या जिन्स में किये जाने वाले भुगतान से हैं।

14. शब्द 'काश्तकार' की परिभाषा दीजिये।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(3) में शब्द 'काश्तकार' की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार-

''काश्तकार अथवा कृषिक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि से स्वयं अपने आप अथवा नौकरों या अभिधारियों द्वारा पूर्णत: अथवा मुख्यत: अपना जीवन निर्वाह करता है।''

इस प्रकार काश्तकार की मुख्य कसौटी हैं-पूर्णरूप से या मुख्य रूप से जीवन निर्वाह हेतु अपने द्वारा या नौकरों के द्वारा या अभिधारियों के द्वारा कृषि करना। यदि कोई व्यक्ति मात्र रूचि के तौर पर कृषि करता है तो उसे काश्तकार नहीं कहा जा सकता।

15. 'लगान' से क्या अभिप्राय हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(32) में लगान की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार-

''लगान से अभिप्राय जो कुछ भूमि के उपयोग अथवा अधिवास अथवा भूमि में किसी अधिकार के लिए नकद में या जिन्स में या अंशत: नकद और अंशत: जिन्स में देय हैं, से है और जब तक प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, इसमें सायर सम्मिलित हैं।''

16. 'राजस्व' क्या हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(34) में शब्द राजस्व की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार-''राजस्व से अभिप्राय भू-राजस्व से है अर्थात् वार्षिक मांग जो भूमि के या भूमि में किसी हित के या भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी लिखे राज्य सरकार को सीधे देय हो और उसमें अभिहस्तांकित भू-राजस्व सम्मिलित है।''

17. सड़क के किनारे के वृक्ष किसकी सम्पत्ति हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 79क में यह प्रावधान किया गया है कि-अभिधारी अपने भूमि क्षेत्र से लगे हुए लोक मार्ग के सहारे (सड़क के किनारे) राजकीय भूमि पर (चाहे वह कृषि भूमि हो या अन्यथा) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लगाई गई सामान्य अथवा विशिष्ट शर्तो के अध्यधीन पेड़ लगा सकेगा। लेकिन ऐसे पेड़ राज्य सरकार की सम्पत्ति होंगे किन्तु उक्त अभिधारी ऐसे पेड़ों की उपज का एकमात्र अधिकारी होगा।

18. जिन्स में देय लगान किस प्रकार वसूली योग्य होता हैं?

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 145 में यह प्रावधान किया गया है कि-जब लगान उपज के हिस्से के तौर पर जिन्स में देय हो तो साधारणतया उपज के वास्तविक विभाजन के द्वारा वसूली योग्य होगा। परन्तु यदि अभिधारी और भूमिधारी सहमत हों अथवा जहाँ ऐसी प्रथा हो, उपज की वह मात्रा जो लगान स्वरूप देय हो, खड़ी हुई सफल या खलिहान में रखी हुई उपज के कूंते के द्वारा निश्चित की जा सकेगी।

निर्माण IAS